फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान

कल्याण वगै0 बनाम सरकार वगै0

दमा नं0 :– 307 / 2024

ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 17.06.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर	
	17.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम गोपाल्यावास, पटवार हल्का बिरासना, तहसील ाआंधी, जिला जयपुर में स्थित आराजियात खसरा नम्बर 73, 75 व 54 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। खसरा नम्बर 75 गै0मु0रास्ता है व खसरा नम्बर 74 अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि व अन्य खातेदारों की भूमि का हाल सेटलमेंट में जो नवीन नक्शा कायम किया गया है वह सैटलमेंट कर्मचारियों ने लिपिकीय भूल करते हुये पूर्व नक्शे के विपरित जाकर नवीन नक्शा कायम किया है। जिससे खसरा नम्बर 73, 75, 54 प्रभावित हो रहे है। जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वकील अप्रार्थी सं0 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमियों में खसरा नम्बर 74 अनुसार भूमि अप्रार्थी की खातेदारी कब्जेकाश्त मालिकाना स्वामित्व अनुसार विधिवत रूप से राजस्व नक्शें मे तरमीमशुदा अनुसार साबिक रिकार्ड मे चली आ रही है। धारा 136 के तहत मात्र त्रुटिपूर्ण एवं सहवन से किये गये हाल नवीन इन्द्राज के विरूद्व पक्षकारों आपसी सहमति होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जा सकती है। पक्षकारों के मध्य विवाद होने की स्थिति में काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित वाद प्रस्ततु किया जाना चाहिये। वादग्रस्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खतौनी एवं राजस्व नक्शा हाल सैटलमेंट कार्यवाही से पूर्व ही चले आ रहे है। जो कि भूलवश इन्द्राज नही कहा जा सकता है। जिसके विरूद्व भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 मे कार्यवाही किया जाना, न्यायिक कार्यवाही की परिधि में नही आता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज़ फरमाया जावें। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब / रिपोर्ट, अप्रार्थी सं0 2 का जवाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट हाल सैटलमेंट मे कायम सम्पूर्ण गांव का नक्शा पूर्व नक्शा (एकीकरण नक्शा) से उत्तर–दक्षिण मे लगभग 15–25 मीटर व पूर्व– पश्चिम लगभग 20–30 मीटर कम कर दिया गया है। खसरा नम्बर 73, 53, 54 की सीमाये 73, 74, में ना बढाकर ग्राम गोपाल्यावास के सभी खसरो की सीमाये एकीकरण नक्शें मुताबिक कम कर दी गई है। उक्त खसरा नम्बरों का नक्शा	

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर

सम्पूर्ण गांव का नक्शा दुरस्त होने के बाद दुरस्त होना उचित है। अतः जब तक सम्पूर्ण गांव का नक्शा दुरस्त नही हो जाता है तब तक प्रार्थीगणों के खसरा नम्बरान के नक्शे को दुरूस्त नही किया जा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारिज करना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम् हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
कृष्णारामपा.. जिला-जयपुर